


19.09.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या तीन के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अपीलांत अधिवक्ता द्वारा मूल अपील विद्धो की गई है। अतः प्रार्थी की मूल अपील जरिए विद्धो खारिज किए जाने से इस प्रार्थना पत्र पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी का यह म्याद प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(अल्पा चौधरी)  
जिला कलक्टर,सिरोही